निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 26/2025
दायरा दिनांकः–01.04.2025
निर्णय दिनांकः– 24.6.25

उनवान

1. जानकी बाई आयु 68 वर्ष पुत्री मूलचन्द पत्नि मोहनलाल जाति बैरागी निवासी ग्राम कडैयानोहर तहसील छबडा जिला बारां (राज0) हाल निवास ग्राम पदमपुरा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 24.6.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री हेमराज कुशवाह – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल ग्राम कडैयानोहर तहसील छबड़ा में खाता संख्या 345 खसरा नम्बर 52 रकबा 1.7705 हैक्टयर खसरा नम्बर 53/3 रकबा 0.3162 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.0867 हैक्टयर है, जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/4 दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 346 में भूमि खसरा संख्या 714 रकबा 1.3279 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 796 रकबा 0.0253 हैक्टयर भूमि अवस्थित है. जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/2 दर्ज है। 2. उपरोक्त वर्णित समस्त भूमिया प्रार्थीया की पेत्रक भूमियां है, जो प्रार्थीया को अपने पिता मूलचंद से विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थीया के पिता मूलचंद की मृत्यु पश्चात् उसके हिस्से की भूमियों में प्रार्थीया का नाम जानकीबाई पुत्री मूलचंद के स्थान पर राजस्व कर्मचारीयों की वृटिवंश जगन्नाथी पुत्री मूलचंद व कुछ जमाबंदीयों में जगन्नाथी पुत्री मूलचंद दर्ज हो गया है, तथा उपरोक्त भूमियों की जमाबंदियों में प्रार्थीया के नाम का ऋण प्राप्त नहीं हो पा रहा है, सरकार द्वारा प्रदत अन्य सहायता भी प्राप्त नहीं हो पा रहीं है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमियों में प्रार्थीया उसके नाम में हुई त्रुटि को ठीक करवाकर जगन्नाथी पुत्री मूलचंद के स्थान पर जानकीबाई पुत्री मूलचंद दर्ज करवाना चाहती है, जो न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीया ने उपरोक्त वर्णित आराजीयात की जमाबंदीयों में अंकन में हुई उपरोक्त त्रुटि को ठीक कराने हेतु प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार साहब छबड़ा को दिनांक 15/02/2025 को

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)